FORM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत ..... मुकाम .....

..... मांगीलाल ..... बनाम रामचन्द्र .....

करम मुकदमा ..... नं. 41/17 ..... सन् .....

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
31/01/19	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उप०। उभयपक्ष को सुना गया। वादपत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	मांगीलाल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

जो इस डुकेन्ट की मैं जारी हुए नम्बर व तारिख

न्यायालय बईजलास बद्रीलाल राठौर आ.ए.एस.(सहायक कलक्टर) बेगूँ जिला चितौडगढ़ राज॰

दावा संख्या 41/2017

श्री मांगीलाल पिता रूपा जी गुजर निवासी पारसोली तह. बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

........वादी

बनाम

1. रामचन्द्र पिता धुकल जी गुजर निवासी पारसोली तह. बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
2. भंवरलाल पिता रामचन्द्र जी गुजर निवासी पारसोली तह. बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
3. राधा पति रामचन्द्र रामचन्द्र जी गुजर निवासी पारसोली तह. बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
4. कान्हा पिता नाना जी गुजर निवासी पारसोली तह. बेगूँ जिला चित्तौडगढ़
5. गोरी पत्नी कान्हा जी गुजर निवासी पारसोली तह. बेगूँ जिला चित्तौड़गढ
6. सुनिल पिता कान्हा जी गुजर निवासी पारसोली तह. बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
7. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक महोदय बेंक ऑफ बड़ोदा शाखा पारसोली

.........प्रतिवादीगण

वादपत्र अ.धा. 183 आर.टी.ए.

वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पारसोली प. ह. पारसोली तह. बेगूँ में निम्न खतौनी संख्या व आराजियात वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी में दर्ज हैः–

खतौनी संख्या	खसरा सं0	रकबा हे0
287	1706/23	0.10
	1707/757	0.05
	1708/758	0.04
	1709/786	0.16
	1710/787	0.03
	कुल किता –5	कुल रकबा 0.38 हे0

कुल किता –5, कुल रकबा 0.38 हे0 कृषि आराजियात पर वादी बहैसियत मालिक खातेदार काबीज होकर स्वतंत्र रूप से खेती कर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी की उक्त आराजियात पर वादी के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार निहित नहीं है, लेकिन प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 तक एक ही परिवार के सदस्य होकर जनबल एवं ताकत वर होने से जबरन मुद्दई वादी की खातेदारी कि कृषि आराजियात को जबरन छीनने एवं कब्जा करने की नियत से आए दिन मौके पर आ कर गाली गलोच कर धमकिया देते है कि इस जमीन से कब्जा छोड़ दो वरना अन्जाम बुरा होगा ।

दिनांक 21/02/2017 को प्रतिवादीगण एक साथ होकर वादी की खातेदारी की कृषि आराजियात पर आकर जमीन को जबरन छीनने एवं कब्जा करने की धमकी देने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेद्याज्ञा की डिक्री हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में निम्न अनुतोष डिकि फरमायी जावें :–

कि वादी के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की उक्त वाद वर्णित आराजी में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और ना ही किसी परिवार के सदस्य, नोकर, ऐजेण्ट आदि से करावें।

कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो विरूद्ध प्रतिवादी प्रदान कराया जावे।

कि वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क भी वादी को प्रतिवादीगण से प्रदान कराया जावे।

वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर वाद पाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण सं0 2 से 6 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आए जिससे उनके खिलाफ दिनांक 14/11/2017 को एकतरफा कार्यवाही की गयी । दिनांक 21/11/2017

Scanned by CamScanner

को रामचन्द्र (प्रतिवादी सं0 1) न्यायालय में उपस्थित नही आने से उनके खिलाफ भी एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

पत्रावली में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश नही किया गया, जिससे तनकीयात कायम न की जाकर सीधे ही वादी द्वारा साक्ष्य हेतु शपथ–पत्र पेश किये गये तथा गांगीलाल (वादी) के बयान को कलमबद्ध किया जो शामिल मिशल है। वादी ने बयान में जाहिर किया कि प्रतिवादीगण वाद वर्णित आराजियात पर मुझे जाने नही देते एवं गाली गलोच कर भगा देते है, इसलिए विपक्षीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। पत्रावली में वादी अधिवक्ता कि एकतरफा बहस सुनी गयी । जिन्होने अपनी बहस में वादपत्रनुसार तथा वादी खातेदार होने से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेजात एवं रेकार्ड का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया । पत्रावली में कायम दस्तावेजी साक्ष्य एवं रेकार्ड वादपत्रानुसार सिद्व होने से वाद, वादी का स्वीकार होने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद, वादी का अ.धा. 188 आर.टी.ए. को स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता हैं। वादी कि खातेदारी की आराजी मोजा ग्राम पारसोली प.ह. पारसोली तह. बेगूँ की जमाबंदी संवत् 2072 के खाता खतौनी सं0 287 में अंकित आराजियात 1706/[illegible], 1707/757, 1708/758, 1709/786, 1710/787 कुल किता–5, कुल रकबा 0.38 हे0 कृषि भूमि मे किसी प्रकार से हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न ही परिवार के अन्य सदस्य, नौकर, ऐजेण्ट आदि से करावे।

निर्णय आज दिनांक 31/01/2019 को लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बद्रीलाल राठोर)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय बईजलास बद्रीलाल राठौर आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ, जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

दावा संख्या :– 41/2017

श्री मांगीलाल पिता रूपा जी गुजर निवासी पारसोली तह. बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज.।

.....वादी

बनाम

1 श्री रामचन्द्र पिता धुकल जी गुजर निवासी पारसोली तह. बेगूँ
2 श्री भंवरलाल पिता रामचन्द्र जी गुजर निवासी पारसोली तह. बेगूँ
3 श्रीमति राधा पति रामचन्द्र जी गुजर निवासी पारसोली तह. बेगूँ
4 कान्हा पिता नाना जी गुजर निवासी पारसोली तह. बेगूँ
5 गोरी पत्नी कान्हा जी गुजर निवासी पारसोली तह. बेगूँ
6 सुनिल पिता कान्हा जी गुजर निवासी पारसोली तह. बेगूँ
7 श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा पारसोली तह. बेगूँ

.....प्रतिवादीगण

वादपत्र अ.धा. 188 आर.टी.ए.

वादी अधिवक्ता श्री मो. रफीक उपस्थित । प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं। वादपत्र आज दिनांक 31/01/2019 को सहायक कलेक्टर (उपखंड अधिकारी) बेगूँ के समक्ष न्यायालय हाजा में निस्तारणार्थ प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है, एवं वाद अंतिम डिक्री किया जाता है:–

अतः वाद वादी का अ.धा. 188 आर.टी.ए. को स्वीकार किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं।

प्रकरण में वादी की खातेदारी की आराजी मौजा ग्राम पारसोली पह. पारसोली तह. बेगूँ की जमाबन्दी संवत 2072 के खाता खतौनी सं0 287 में अंकित आराजियात 1706/23, 1707/757, 1708/758, 1709/786, 1710/787 कुल किता –5 कुल रकबा 0.38 हेक्टर में प्रतिवादीगण स्वयं दखलअंदाजी नही करे और न हो अपने किसी नौकर, ऐजेन्ट, रिश्तेदार आदि से करावे।

यह निर्णय डिक्री आज दिनांक 31/01/2019 को न्यायालय बईजलास पर मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर से जारी की गयी।

(बद्रीलाल राठौर)
सहायक कलेक्टर
(उपखंड अधिकारी), बेगूँ

Scanned by CamScanner